

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
PART II SECTION 3 SUB-SECTION (ii) DATED 29.10.93

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NEW DELHI, THE 29th OCTOBER, 1993

NOTIFICATION
INCOME-TAX

S.O. (E) - In exercise of the powers conferred by clause (23D) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies "ICICI Mutual Fund" set up under a Trust deed dated 25th August, 1993, by the Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited, a public financial institution under section 4A of the Companies Act, 1956, as a Mutual Fund of a public financial institution for the purpose of the said clause.


(Y.K. BATRA)
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

F.No. 149/114/93-TPL

No. 9393

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3,
उपखंड 111 में दिनांक 29 अक्टूबर 93 को प्रकाशनार्थ

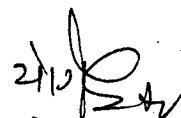
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर, 93

अधिसूचना

आयकर

का०आ० §अ§ आयकर अधिनियम, 1961 §1961 का 43§ की
धारा 10 के खंड §23-डी§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारतीय औद्योगिक क्रेडिट और निवेश निगम लि०,
जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4-ए के अन्तर्गत एक सार्वजनिक वित्त
संस्था है, द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 1993 के एक न्यास-विलेख के अन्तर्गत
स्थापित "आई सी आई सी आई पारस्परिक निधि" को उक्त खंड के
प्रयोजनार्थ किसी सार्वजनिक वित्त संस्था की पारस्परिक निधि के रूप में
विनिर्दिष्ट करती है।



§वाई० के बतरा§

अवर सचिव, भारत सरकार

फा०स० 149/114/93-टी०पी०एल०

संख्या 9393